राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 818/2025

भीमराज जयसवाल –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (II), ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़।
4. ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति बदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 14.02.2025
<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री नरेन्द्र कुमार सैनी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 09.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति भैसरोड़गढ़ से भदेसर (चित्तौड़गढ) स्थानान्तरणाधीन मानते हुए पंचायत समिति कपासन (चित्तौड़गढ) में किया गया है। जबकि इससे पूर्व अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.03.2024 (अनुलग्नक–6) द्वारा पंचायत समिति भदेसर से पंचायत समिति भैसरोडगढ़ स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए पंचायत समिति भदेसर चित्तौडगढ़ से निरस्त कर पंचायत समिति भदेसर किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा पंचायत समिति भैसरोड़गढ से कार्यमुक्त होकर पंचायत समिति भदेसर में दिनांक

16.03.2024 को कार्यग्रहण कर लिया गया (अनुलग्नक–8)। तब से अपीलार्थी लगातार पंचायत समिति भदेसर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पंचायत समिति भदेसर में कार्यरत है, जबकि अपीलार्थी को पंचायत समिति भैसरोडगढ से पंचायत समिति भदेसर स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए प्रत्यर्थी विभाग ने बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए आलौच्य आदेश जारी किया है।

3. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 09.01.2025 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी को निरंतर वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रखा जावे।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 09.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानानतरण पंचायत समिति भैसरोड़गढ़ से भदेसर (चित्तौड़गढ) स्थानान्तरणाधीन मानते हुए पंचायत समिति कपासन (चित्तौड़गढ) में किया गया है। हम पाते हैं कि अपीलार्थी वर्तमान में भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ में कार्यरत है, जबकि आलौच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी को पंचायत समिति भैसरोड़गढ़ से भदेसर (चित्तौड़गढ) स्थानान्तरणाधीन मानते हुए पंचायत समिति कपासन (चित्तौड़गढ) में किया गया है। हम यह मानते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान की जानकारी के अभाव में आलोच्य आदेश जारी किया गया है, जो बिना मस्तिष्क के प्रयोग के आलौच्य आदेश जारी किया गया है। ऐसी स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में दो सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों / परिपत्रों / नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 09.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश जारी होने से पहले के स्थान

पर पदस्थापित रखा जावे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)